REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032024-253457 CG-DL-E-30032024-253457

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] No. 220]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सं.ए-12(11)5/2024- स्था.I (1).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (xxi) और धारा 17 की उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख' / संयुक्त निदेशक भर्ती विनियम, 2018 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख' / संयुक्त निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/ संयुक्त निदेशक भर्ती विनियम, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे। 3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **निरर्हता**—ऐसा कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकते हैं।

5. शिथिलता प्रदान करने की शक्ति—जहाँ महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से अनुमोदन से तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

6. **व्यावृति**—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद
				है अथवा गैर
				चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्षेत्रीय निदेशक	150*(2023)	लागू नहीं	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12	चयन पद
श्रेणी 'ख'/ संयुक्त	*कार्यभार के आधार पर	होता	(रु.78,800-2,09,200)	
निदेशक	परिवर्तन किया जा सकता है			

अनुसूची

सीधी भर्ती	सीधी भर्ती होने	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति -
होने वालों	वालों के लिए	लिए विहित आयु	की	क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति
के लिए	अपेक्षित शैक्षिक	और शैक्षिक	अवधि,	द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
आयु सीमा	और अन्य अर्हताएं	अर्हताएं पदोन्नतों के	यदि कोई	और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
		मामले में भी लागू	हो	वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
		होंगी	Q.	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर
होता			होता	अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति
				द्वारा

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले वह श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।

प्रोन्नति द्वारा :

वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 (रु. 67,700-2,08,700) में उप निदेशक (वरिष्ठ समय वेतनमान) के रूप में गैर-कार्यात्मक आधार पर प्रदान की गई सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपये) में उप निदेशक की दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ।

(11)

टिप्पण 1: इस पद पर प्रोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/ संयुक्त निदेशक हेतु समय -समय पर प्रोन्नति के लिए संचालित आज्ञापक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के अधीन होगी।

परंतु जिन व्यक्तियों ने प्रोन्नति हेतु आज्ञापक प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के तारीख से पूर्व पूर्ण नहीं किया हो उनपर भी इस शर्त के अधीन विचार किया जायेगा कि ऐसे व्यक्तियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

टिप्पण 2: वे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें ऐसे प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूरा करने से छूट दी जाएगी।

टिप्पण 3: जहाँ प्रोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, परंतु अपनी अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता

सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक और स्वायत्त निकायों के अंतर्गत अधिकारीः-

- क. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; अथवा
 - (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11(रु.67,700-2,08,700) में अथवा उसके समकक्ष में नियमित आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और

(ii) वित्तीय अथवा प्रशासनिक मामलों अथवा सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा श्रम विधि से संबंधित कार्य में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व इसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रोन्नति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसका गठन किस प्रकार	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
है।	<u>`</u>
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) —	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
का संघटन:	आवश्यक है।
1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष;	
2. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम -सदस्य;	
3. बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा	
निगम -सदस्य ।	

ूडॉ. राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./882/2023-24]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

No. A-12(11)5/2024-Estt. I.(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) of section 97, read with sub-section (2A) of that section and clause (a) of sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation, Regional Director Grade 'B'/Joint Director Recruitment Regulations, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes with the approval of the Central Government the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of Regional Director Grade 'B'/Joint Director in the Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, (Regional Director Grade 'B'/ Joint Director) Recruitment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Chairman of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, with the approval of the Chairman of the Employees' State Insurance Corporation, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regional Director Grade 'B'/ Joint Director.	5	Not Applicable	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78,800- 2,09,200)	Selection Post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.

(11)

By promotion:

Deputy Director in Level 10 in the pay matrix (Rs. 56,100- 1,77,500) with ten years regular service including the service rendered on non-functional basis as Deputy Director (Senior Time Scale) in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700).

Note 1: Promotion shall be subject to completion of mandatory training program for promotion to the post of Regional Director Grade B/ Joint Director as conducted by the Employees State Insurance Corporation from time to time:

Provided that those persons who have not completed mandatory training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that such persons shall complete the required training within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee.

Note 2: Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training for promotion.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation (Including short-term contract):

Officers of the Central Governments or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector undertakings or Statutory or Autonomous bodies:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

or

- (ii) with five years regular service in post in level-11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700) or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Bachelors Degree from a recognised University; and
 - (ii) ten year's experience in financial or administrative matters, or dealing with Social Security Scheme or labour laws.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its com	Circumstances in which Union Public Service	
		Commission is to be consulted
		in making recruitment
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-		Consultation with Union Public
		Service Commission necessary
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission.		on each occasion.
	– Chairman;	
2. Director General, Employees' State Insurance Corporation		
	– Member;	
3. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Insurance Corporation.	Employees' State	
1	- Member.	

Dr. RAJENDRA KUMAR, Dir. General [ADVT.-III/4/Exty./882/2023-24]